राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/11/20	481/2020 अरविन्दसिंह/नानाराम 482/2020 अरविन्दसिंह/नानूराम 1.	

आज यह दोनों पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई | संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दौ वाद क्रमशः नानुराम व कानाराम की और से पृथक-पृथक प्रस्तुत हुये, जिन दोनों वादों में वादी की और से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत हुये |वादों में प्रार्थी/अपीलांट की और से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत हुये | जिसका हवाला अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 16/10/2020 में दिया हुआ है | दिनांक 16/10/2020 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञाओ पर दोनों पक्षों को सुना जाकर प्रार्थना पत्र में अंकित पक्षकारो के सन्दर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित उक्त आदेशो के विरुद्ध यह दौ पृथक-पृथक अपीले प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गयी | चूँकि अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किये जाने के पश्चात भी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस नही सुनी जाकर आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी पक्षकार नही थे, अत: अपीलों के साथ प्रार्थना पत्र लीव टू अपील प्रस्तुत किये गये है | अत: दोनों प्रकरणों में मुख्य रेस्पो. के उपस्थित आ जाने से बहस अभिभाषक पक्षकारान समायत की गयी |

अभिभाषक प्रार्थी/अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रशनगत आराजीयात जिनके सन्दर्भ में अपीलार्थी के हक़ में रजिस्टर्ड वसीयतनामा हो चूका है, के ही सन्दर्भ में नानुराम पुत्र जगन्नाथ द्वारा अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-2 जयपुर के समक्ष स्वयं को दत्तक पुत्र घोषित किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया, जो दिनांक 08/04/2011 को ख़ारिज हो गया | जिसकी अपील नानुराम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसमे प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया | जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को दिनांक 17/07/2017 को लम्बित अपील में प्रार्थी/अपीलार्थी को कैलाश चन्द शर्मा को एवं श्रीमती लाली देवी को पक्षकार बनाने हेतु

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	481/2020 अरविन्दसिंह/कानाराम 482/2020 अरविन्दसिंह/नानुराम 2.

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को आदेश दिया गया एवं अपीलार्थी के अधिवक्ता को संशोधित वाद शीर्षक प्रस्तुत करने हेतु दौ सप्ताह का अवसर दिया गया किन्तु निर्धारित समय में अपीलार्थी द्वारा प्रार्थी/अपीलांटस को पक्षकार नही बनाया जाकर संशोधित उनवान अपील माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किये जाने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04/04/2018 के द्वारा अपील ख़ारिज फरमा दी गयी | उक्त समस्त उच्च न्यायालय की कार्यवाही से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अपीलांट लम्बित प्रकरणों में आवश्यक पक्षकार है | इसी सन्दर्भ में अभिभाषक अपीलार्थी ने हमारा ध्यान रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 02/05/2011 की और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी/अपीलांट मूल खातेदार गिरधारी पुत्र जैसा की खाते की आराजीयात के वसीयतधारी व्यक्ति है, जिससे वाद में अंकित आराजीयात के सन्दर्भ में प्रभावित पक्षकार है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष विचाराधीन प्रार्थी/अपीलांट ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 का निस्तारण नही कर सन्दर्भित आराजीयात के सन्दर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित कर दिया | जिस पर प्रार्थी /अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्राप्त नही हुआ है | अत: अपीले स्वीकार जाकर दोनों आदेश जैर अपील निरस्त फरमाये जावे |

अभिभाषक रेस्पो ने अपनी बहस के प्रारम्भ में हमारा ध्यान फर्द दस्तावेज के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड की और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि सन्दर्भित आराजीयात के सन्दर्भ में रेस्पो नानुराम रिकार्डेड खातेदार है जिसके अधिकारों की सुरक्षा हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित किया किया गया है | अभिभाषक रेस्पो. ने बहस में यह भी निवेदन किया कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में बाजदायर प्रार्थना पत्र लम्बित है | अभि. रेस्पो. ने हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की और आकर्षित करा कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र रिकार्ड व मौके की यथास्थिति का आदेश दिया गया है | अपीलार्थी मात्र उक्त आदेश को ख़ारिज करना

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
481/2020	अरविन्दसिंह/जानाराम	
482/2020	अरविन्दसिंह/नानूराम	3.

चाहते है, जो उचित नही है क्युकी जिस रजिस्टर्ड वसीयतनामें के जरिये जिस आराजीयात के सन्दर्भ में प्रार्थी/अपीलांट स्वयं को हकधारी कह कर आते है | उक्त आराजीयात के मूल खातेदार गिरधारी पुत्र जैसाराम का नानुराम दत्तक पुत्र है जिसका प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है | अत: ऐसी आराजीयात के सन्दर्भ में हुआ पश्चातवर्ती वसीयतनामा आधारहीन है | अत: दोनों अपीले इसी स्तर पर ख़ारिज फरमाई जावे |

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया | विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी/अपीलार्थी प्रशनगत आराजीयात के सन्दर्भ में रजिस्टर्ड वसीयतधारी व्यक्ति है, उनके हक़ में सुन्दर देवी द्वारा वसीयत निष्पादित की गयी है एवं चूँकि दिनांक 06/11/2016 को वसीयतकर्ता सुन्दर देवी का ईन्तकाल हो चूका है | अत: वसीयतधारी व्यक्ति प्रथमद्रष्टया हकधारी व्यक्ति प्रतीत होते है अन्यथा भी माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत एस.बी. सिविल रेगुलर फर्स्ट अपील नम्बर 336/2011 की प्रति के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी प्रार्थी/अपीलांट को उनके समक्ष विचाराधीन रही अपील में पक्षकार समायोजित किये जाने के आदेश दिये जा चुके है, जिससे प्रथमद्रष्टया वाद एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में प्रार्थी/अपीलांटस पक्षकार समायोजित किये जाने चाहिये थे, तत्तपश्चात ही अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की जाकर आदेश दिया जाना चाहिये था | उक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/अपीलांट के प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी के निस्तारण से पूर्व जो आदेश जैर अपील दिनांक 16/10/2020 पारित किया गया है, वह विधिविरुद्ध होने से निरस्त किया जाता है तदनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले मय प्रार्थना पत्र लीव टू अपील इसी स्तर पर स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रार्थी/अपीलांट के प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 481/2020 अरविन्दसिंह / कानाराम 482/2020 अरविन्दसिंह / नानूराम	नम्बर अहकाम हुक्म की ... में जारी हु...
	का सर्वप्रथम निस्तारण करे, तत्तपश्चात प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञाओ पर सुनवाई कर पुनः आदेश पारित करे। आदेश की एक-एक प्रति दोनों पत्रावलियो पर सलग्न की जावे। पत्रावलियां फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 09/11/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	